न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 51 / 2020 / बाड़मेर

अप़ीलांट रेस्पोडेंटगण

1. नीरज पुत्र नवरतनमल वगै. बनाम 1.मदनलाल पुत्र चम्पाल वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से।
3. वकील श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 06 की तरफ से।

निर्णय

दिनांकः– 06.01.2021

उतरदाता संख्या 01 से 04 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.12.2020 पर गौर करते हुए सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश जो दिनांक 02.12.2019 को पारित किया गया जानकारी तत्समय अधिवक्ता अपीलकर्ता एवं अपीलकर्ता को नहीं हो सकी। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अधिवक्ता अपीलांट द्वारा नकल मांगी गई तथा नकल मिलने पर अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपीलाधीन आदेश के बाद विवादित भूमि की तरमीम के संबंध में श्रीमान जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार से विभिन्न समय में विभिन्न आवेदनो के माध्यम से रिपोर्ट मंगवाई गई जो रिपोर्ट आने में समय लगा तथा इस बीच में अपीलकर्ता एवं उतरदातागण के मध्य राजीनामा की वार्ता चलती रही ऐसी स्थिति में तत्समय अपील इन कारणों से नहीं की जा सकी। चूंकि कल ही उतरदातागण ने अपीलकर्ता को यह धमकी दी कि वे वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करने लगें। इसलिए अपीलकर्तागण को यह अपील तुरन्त पेश करनी आवश्यक हो गई। विलम्ब ज्यादा नहीं है। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रखते हुए। अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2020(1) Page 265

DNJ (SC) 2018 Page 618

DNJ 2020(1) Page 121

DNJ (SC) 2017 Page 928 (Word sufficient cause should receive a liberal construction so as to advance substantial justice, when no negligence, inaction or want of bana fide is attributable to the appellants.)

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामले को लंबा करने हेतु हस्तगत अपील पेश की गई है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया है। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ (Raj.) 2011(2) Page 903 (विलम्ब स्पष्ट नहीं किया अपीलाट गंवार ग्रामवासी नहीं है।)

RLW 2012(3) Page 2142(SC)

RRT 2011(2) Page 851

RRT 2007(2) Page 939

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

RRT 2014(2) Page 1331

RRT 2013(2) Page 887

CCC 2016 (1) Page 165

CCC 2016(Suppl.) Page 150

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेंट संख्या 06 की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पेश अपील मियाद बाहर है। अपीलांट न्यायालय में स्वच्छ हाथों एवं सद्भावना के साथ नहीं आया है। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी के एक–एक दिन का हिसाब पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हस्तगत अपील अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.12.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 18.03.2020 को पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट की उपस्थिति में पारित किया गया। अपीलांट द्वारा धारा 05 के प्रार्थना–पत्र में जो तथ्य अंकित किये है उसमें यह कही पर अंकित नहीं किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु कौनसी दिनांक को आवेदन दिया गया तथा कौनसी दिनांक को नकल प्राप्त हुई। हस्तगत अपील के साथ में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की फॉटो प्रति पेश की गई इस वजह से अपील को कमी पूर्ति में रखा गया तथा अपीलांट द्वारा दिनांक 10.11.2020 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने पर अपील को मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 के प्रार्थना–पत्र में अंकित किया गया कि अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त होने पर अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई तो अपीलांट द्वारा प्रमाणित प्रति काफी विलंब के बाद पेश करने का भी कोई कारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन आदेश की नकलों से संबंधित कोई आवेदन किया हो तथा उनको नकले नहीं दी गई हो ऐसा भी पत्रावली पर नहीं पाया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नकलों के लिए आवेदन कौन कौनसी दिनांक को पेश किया गया ऐसा कोई तथ्य अपीलांट द्वारा अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए डेढ माह के बिलम्ब का समुचित, युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण भी नहीं बताया है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांटगण के इस

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक केसे नहीं हुई। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन डेढ माह की देरी के बाद पेश की गई जबकि इतनी सुदीर्घ अवधि को Explain भी नहीं किया गया। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है।

अतः अपील अपीलांट परिसीमा अवधि के उपरांत पेश होने से खारिज की जाती है।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर